संख्या-21/2017/1088/12-5-2017-सा०-73/2017

प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 30 अगस्त, 2017**

विषय:-उद्यान विभाग के शासनादेश में स्प्रिंकलर सेट पर अनुमन्य अनुदान के आधार पर कृषि विभाग की बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना तथा प्रदेश के अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमीक्रिटिकल विकासखण्डो में अनुदान पर स्प्रिंकलर सेट वितरण की योजना (वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक) के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू०सं०/अभि०/214/2017-18, दिनांक 04 अगस्त, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्यान विभाग के शासनादेश में स्प्रिंकलर सेट पर अनुमन्य अनुदान के आधार पर कृषि विभाग की बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना तथा प्रदेश के अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमीक्रिटिकल विकासखण्डो में अनुदान पर स्प्रिंकलर सेट वितरण की योजना (विवरण संलग्न) के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के वितरण के क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रत्येक वर्ष बजट में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक वार्षिक कार्य योजना पर वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करते हुए योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा। साथ ही योजना का मिड-टर्म-ईवैल्यूशन 02 वर्ष बाद कराने के उपरान्त आगामी वर्षों में योजना क्रियान्वित की जायेगी तथा लाभार्थियो का विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाला जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-543/12-3-2017-100(61)/12टीसी, दिनांक 26.05.2017 की व्यवस्था अनुसार पारदर्शी ऑनलाइन लाभार्थियों का चयन एवं अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया उक्तानुसार योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-21/2017/1088(1)/12-5-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन/वित्त/उद्यान/लघु सिंचाई विभाग, उ०प्र० शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उ०प्र०, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र० द्वारा कृषि निदेशक।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
9. अपर कृषि निदेशक (भू०सं०)उ0प्र0, लखनऊ।
10. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक,उ०प्र० द्वारा कृषि निदेशक।
11. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा कृषि निदेशक।
12. समस्त उप कृषि निदेशक (भू०सं०), उ०प्र० द्वारा कृषि निदेशक।
13. समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा कृषि निदेशक।
14. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उ०प्र० द्वारा कृषि निदेशक।
15. नियोजन अनुभाग-3/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।